24.11.24 पत्रावली पेशी में ली गई। अधि. प्रार्थी अड. आदेश क्रमांक 27/5/24 की अनुपालना में रजि. सीधे पेश नहीं की गई। रसीदे पेश नहीं होने की दशा में एक पक्षीय अंतरिम आदेश 27/5/24 को निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधि
हनुमानग

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.11 17:54:17 IST
Reason: SelfAttested